

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-5
संख्या:-702/पांच-5-2020
लखनऊ, दिनांक : 25 मार्च, 2020

कार्यालय आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 की धारा (2),(3),(4) एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए **प्रदेश के समस्त जनपदों** को दिनांक 25 मार्च, 2020 से दिनांक 27 मार्च, 2020 तक पूर्णतया बन्द रखे जाने के आदेश, कार्यालय आदेश संख्या:-693/पांच-5-2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 द्वारा जारी किये गये हैं।

2- एतद्वारा उक्त कार्यालय आदेश दिनांक 24 मार्च, 2020 की शर्तों/प्रतिबन्धों के तहत **प्रदेश के समस्त जनपदों** को दिनांक 14 अप्रैल, 2020 तक पूर्णतया बन्द रखा जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा समय समय पर स्थिति का आंकलन कर आवश्यक सेवाओं को परिभाषित किया जा सकेगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निम्न सेवाओं को आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित किया गया है:-

1. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
2. चिकित्सा शिक्षा
3. गृह एवं गोपन/कारागार प्रशासन एवं सुधार(पुलिस/सशस्त्र बल एवं अर्द्धसैन्य बल)
4. कार्मिक विभाग एवं जिला प्रशासन
5. ऊर्जा (समस्त बिजली के कार्यालय व बिलिंग सेन्टर)
6. नगर विकास
7. खाद्य एवं रसद (फल/सब्जी/दूध/डेरी/किराना/पेयजल/चिकेन/अण्डा/मीट)
8. आपदा एवं राहत/राज्य सम्पत्ति विभाग
9. सूचना, जनसम्पर्क एवं सूचना प्रौद्योगिकी
10. अग्नि शमन/सिविल डिफेन्स
11. आपात कालीन सेवाएं
12. टेलीफोन/इंटरनेट/डेटा सेन्टर/नेटवर्क सर्विसेज/आई0टी0 इनेबिल्ड सर्विसेज एवं आई0टी0 संबंधित सेवाएं, ऐसे डेटा सेन्टर जो आई0टी0 सर्विसेज के संचालन के लिए आवश्यक है
13. डाक सेवाएं
14. बैंक/एटीएम/बीमा कम्पनियों/विभिन्न एजेन्सियों के वर्दीधारी सुरक्षा-गार्ड
15. ई-कॉमर्स (खाद्य वस्तु, होम डिलिवरी, ग्रॉसरी)
16. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया
17. पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस, ऑयल एजेन्सी (इनसे सम्बन्धित गोदाम एवं परिवहन के साधन)
18. दवा की दुकान, चिकित्सकीय उपकरण, सामग्री एवं दवाईयों की निर्माण इकाईयों
19. आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, खाद्य सामग्री, कृषि उत्पाद एवं उनसे सम्बन्धित निर्माण इकाईयां एवं उनके थोक एवं फुटकर विक्रेता
20. पशु-पक्षी चिकित्सा एवं पशु-पक्षी, मत्स्य आहार से सम्बन्धित इकाईयां एवं विक्रेता।

इस दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में आम जन के प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। आवश्यक सेवाओं वाले विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की स्थिति घर से कार्य करने (Work from Home) की रहेगी। यद्यपि उन्हें फील्ड ड्यूटी हेतु निर्देशित करने के लिए सम्बन्धित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, जिला कलेक्टर या सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी स्वतंत्र होंगे। इस दौरान किसी भी सरकारी कार्मिक को विशेष या अपिहरार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने की है, उन्हें कार्यालय समय के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

इस अवधि में समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज, सिटी ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट बसें, टैक्सियां, ऑटो रिक्शा आदि के अन्तरराज्यीय (Inter State), अन्तरराज्यीय (Intra State) संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यद्यपि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से घर के लिए सीमित संख्या में जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध रहेंगे। सामग्री आपूर्ति वाले वाहन, पशु-पक्षी, मुर्गी, मछली चारा ढुलाई करने वाले वाहन, ए0टी0एम0 के कैश बैं, चीनी मीलों के गन्ना ढुलाई करने वाले वाहन सहित, प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। आकस्मिक स्थित में अस्पताल जाने हेतु निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा।

बंद के दौरान आपात स्थिति में आवश्यकतानुसार परिवहन साधनों को परमिट जारी करने के लिए मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव, गृह/प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा संबंधित जनपद के जिला कलेक्टर/पुलिस आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी ही अधिकृत होंगे। आमजन को सूचना एवं सुविधा हेतु जिले के नियंत्रण कक्ष एवं संबंधित अधिकारियों के सम्पर्क नम्बर प्रकाशित किये जाएं।


05 से अधिक व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकट्ठे होने की पूर्णतः मनाही रहेगी। किसी भी सामाजिक/सांस्कृतिक/ राजनैतिक/धार्मिक/ शैक्षणिक/खेल/संगोष्ठी/सम्मेलन/धरना आदि का आयोजन निषिद्ध रहेगा। साप्ताहिक बाजारों का आयोजन, प्रदर्शनियाँ आदि भी निषिद्ध रहेगी।

यदि किसी स्थापना/सेवा के संबंध में यह भ्रम हो कि वह आवश्यक सेवाओं में आता है या नहीं तो उसके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट को होगा।

सभी जनपदों के जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, नगर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट को एतद्द्वारा अपने क्षेत्र में उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक दशा में कठोरतापूर्वक अनुपालन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु अधिकृत किया जाता है। उपरोक्त अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर स्थानीय पुलिस द्वारा पुलिस सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत आदेश यथावत प्रभावी रहेंगे। भ्रम की स्थिति में राज्य सरकार आवश्यक निर्देश/स्पष्टीकरण निर्गत करेगी।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उक्त आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।



25-3-20
(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।
८ -3-

संख्या-702(1)/पांच-5-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
4. निजी सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


25.3.20

(अमित मोहन प्रसाद)

प्रमुख सचिव।

५